अध्याय-2

लेखापरीक्षा रूपरेखा

अध्याय-2

लेखापरीक्षा रूपरेखा

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के संदर्भ में स्वयं को स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में स्थापित करने का अधिकार दिया गया है और क्या राज्य में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। तदनुसार, आकलन करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तैयार किए गए थे:

- क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को राज्य विधान में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है;
- क्या शहरी स्थानीय निकायों को, राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से तैयार की गई संस्थाओं/संस्थागत तंत्रों और उनके कार्यों के सृजन के माध्यम से अपने कार्यों/उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है;
- हस्तांतरित किए गए कार्यों की प्रभावकारिता; और
- क्या शहरी स्थानीय निकायों को उन्हें हस्तांतरित किए गए कार्यो के निर्वहन के लिए उचित संसाधनों सहित पर्याप्त संसाधनों तक पहुंच का अधिकार दिया गया है।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992;
- उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन और संशोधन आदेश 2002;
- उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तरांचल संशोधन), 2002; उत्तराखण्ड मलिन बस्ती सुधार, विनियमन, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और अतिक्रमण निषेध नियम, 2016;
- केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट;
- राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट; और
- चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार उप-नियम।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता का आकलन यह ज्ञात करने के लिए किया गया है कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को वास्तव में शहरी क्षेत्र में एक नोडल निकाय

या प्राधिकरण के रूप में परिकल्पित और सशक्त बनाया गया है और इन कार्यों के संबंध में दायित्वों/जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता और संसाधन हैं। उत्तराखण्ड में आठ नगर निगम, 41 नगरपालिका परिषद एवं 42 नगर पंचायत मौजूद हैं जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में दर्शाया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए 23 शहरी स्थानीय निकायों को जाँच के लिए चुना गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण चार इकाईयों[1] की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी, केवल 19 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच की गई। इकाईयों का चयन प्रॉबबिलिटि प्रोपोर्शनल टू साइज़ विदाउट रिपलेसमेंट के अनुसार किया गया है। चयनित और लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों की सूची ***परिशिष्ट-2.2*** में दर्शायीं गई है। लेखापरीक्षा क्रियाविधि में सुसंगत अधिनियमों, नियमों, उप-नियमों और विनियमन के प्रावधानों का विश्लेषण, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय और चयनित स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

महामारी के प्रकोप के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 03 सितंबर 2020 को प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के साथ एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा क्रियाविधि, क्षेत्र, उद्देश्यों और मानदण्डों पर चर्चा की गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी का आयोजन 14 जुलाई 2022 को किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ढाँचा

कार्यों, निधियों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण की स्थिति से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया हैं:

अध्याय 3 - 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन।

अध्याय 4 - शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए कार्यों और संस्थागत तंत्र का हस्तांतरण।

अध्याय 5 - शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन।

अध्याय 6 - शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन।

[1] नगरपालिका परिषद बागेश्वर, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, नगर पंचायत चमियाला, नगर पंचायत गंगोलीहाट।